17

श्री मान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

R-5105-दो/15

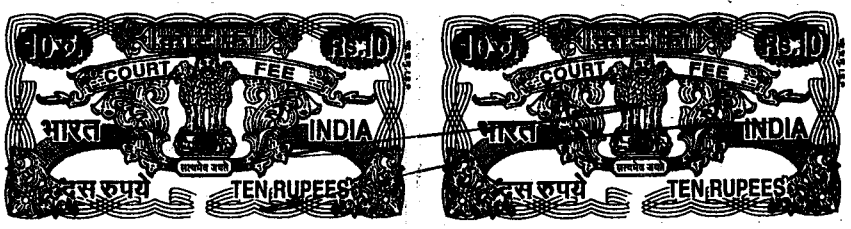

Rs. 20/-

459
13.10.15

श्री बुद्धसेन सोनी तनय श्री दयानन्द सोनी निवासी करौंदियाटोला, तहसील गोपदबनास , जिला -सीधी म0प्र0 ---- निगरानीकार

बनाम

1- हीरालाल तनय राम प्रकाश गुप्ता,

2- हरीदास तनय रामसुन्दर गुप्ता,

3- रामकृपाल तनय रामविशाल गुप्ता,

4- मु0 पार्वती बेवा स्व0 रामगोपाल गुप्ता,

5- अरविन्द गुप्ता तनय रामगोपाल गुप्ता,

6- रवीन्द्र पिता रामगोपाल गुप्ता,

7- जीतेन्द्रतनय रामगोपाल गुप्ता,

8- आनन्द पिता रामगोपाल गुप्ता,

9- ममता पुत्री रामगोपाल गुप्ता,

10-दीपिका पुत्री रामगोपाल गुप्ता,

सभी निवासी ग्राम करौंदियाउत्तरटोला, तहसील गोपदबनास , जिला - सीधी म0प्र0 --------अनावेदक गण

श्री. राजेन्द्र पाण्डेय एड0 द्वारा आज दिनांक. 13-X-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार महोदय, तहसील गोपदबनास जिला -सीधी म0प्र0 के न्यायालय के प्र0क्र0 12/अ-5/14-15, मे पारित आदेश दिनांक 14-8-15,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5105–दो/15 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–04–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकग द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गोपदवनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 12/अ–5/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18–8–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि उसे सरहदी कास्तकार होने के बावजूद भी सूचना जारी नहीं की गई इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति ता विधिवत निराकरण किया है। अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता कि आवेदक को सूचना प्रदान नहीं की गई थी। आवेदक का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि व्यवहार न्यायालय में वाद दायर है इसलिए प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक सहित सरहदी कास्तकारों को विधिवत सूचना जारी की गई है तथा उनके हस्ताक्षर भी अंकित है। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा	

प्रस्तुत व्यवहार वाद का प्रश्न है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा सीमांकन न करने के संबंध में कोइ आदेश नहीं दिये हैं। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन के उपरांत नक्शा तरमीम किया जाना चाहिए। जबकि नक्शा तरमीम के पश्चात सीमांकन किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य